भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2186

जिसका उत्तर 11.03.2026 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में पीएम-गति शक्ति योजना

2186 श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पीएम-गति शक्ति योजना के अंतर्गत निर्मित एक्सप्रेसवे की कुल राज्य-वार लंबाई कितनी- कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में पीएम-गति शक्ति योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसमें राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं, जिनमें पहुंच-नियंत्रित हाई स्पीड कॉरिडोर (एचएससी)/एक्सप्रेसवे का विकास शामिल है, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) सिद्धांतों के अनुरूप नियोजित हैं। लगभग 3,644 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय एचएससी/ एक्सप्रेसवे चालू हो गए हैं, जिनका राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 729 किलोमीटर लंबाई के छह राष्ट्रीय एचएससी/एक्सप्रेसवे (बेंगलुरु - चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा, चित्तूर - ताचुर, हैदराबाद - विशाखापत्तनम, रायपुर - विशाखापत्तनम और नागपुर - विजयवाड़ा कॉरिडोर) विकास के अधीन हैं, जिनमें से 517 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया जा चुका है।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के लिए भूमीराशि पोर्टल और जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करना, वन और पर्यावरण मंजूरी को तेजी से सक्षम करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से परिवेश पोर्टल का नवीनीकरण करना, रेलवे से रोड ओवर ब्रिज / रोड अंडर ब्रिज (आरओबी / आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति को सक्षम बनाना, और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग में चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/रुकावटों की समीक्षा और समाधान के तंत्र का लाभ उठाना शामिल है। सरकार ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए परिभाषित समय-सीमा के साथ रेलवे से संबंधित मंजूरी के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और ठेकेदार अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तंत्रों का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है। परियोजना की प्रगति और महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे कि तीन साल से अधिक समय तक विलंबित या सौंपे जाने के लिए/ नियोजन के लिए लंबित परियोजनाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कई राज्य सरकारें परियोजना निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं में मुद्दे अनसुलझे रहते हैं, उन्हें आगे की समीक्षा के लिए परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से बढ़ाया जाता है।

अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में पीएम-गति शक्ति योजना के संबंध में श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी द्वारा दिनांक 11.03.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

चालू राष्ट्रीय एचएससी/एक्सप्रेसवे का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण : -

क्र. सं.	राज्य	संचालित लंबाई (किमी)
1	दिल्ली	153
2	गुजरात	508
3	हरियाणा	689
4	कर्नाटक	269
5	मध्य प्रदेश	360
6	पंजाब	58
7	राजस्थान	1,176
8	तमिलनाडु	93
9	तेलंगाना	153
10	उत्तर प्रदेश	138
11	उत्तराखंड	47

*****